C:\Users\win7\Desktop\Dilip Singh.doc

# डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)
# Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांक / Ref : लो0अ0वि0 / गो0वि0 / 6161 / 2021 — दिनांक / Dated 17.12.2021

**शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध**

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

**विषय : वर्ष–2022 की प्रायोगिक / मौखिकी परीक्षा के सम्पादनार्थ आन्तरिक परीक्षकों का नाम प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में।**

**महोदय / महोदया,**

कुलपति महोदय के निर्देश एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रथम सेमेस्टर 2022 की परीक्षा दिनांक 17 जनवरी, 2022 से प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि वर्ष–2022 से सम्बन्धित महाविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं परास्नातक कक्षा / सेमेस्टर / विषयों की प्रायोगिक / मौखिकी परीक्षाओं के सम्पादनार्थ विषयानुसार छात्र संख्या का उल्लेख करते हुए आन्तरिक परीक्षकों की सूची (प्रस्तावित नाम) विशिष्टीकरण एवं वरिष्ठताकम में चकानुकम के आधार पर **विलम्बतम् दिनांक 25.12.2021 तक विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें,** जिसके आधार पर प्रायोगिक / मौखिकी परीक्षाओं के सम्पादनार्थ परीक्षकों (आन्तरिक / बाह्य) की सूची आपकों यथासमय उपलब्ध करायी जा सके। आन्तरिक परीक्षकों की प्रस्तावित सूची (नाम) भेजते समय निश्चित रूप से यह भी ध्यान रखा जाय कि जो प्राध्यापक नियमित / अनुमोदित रूप में तीन वर्ष का अनुभव सम्बन्धित विषय में रखते हुए अद्यतन कार्यरत हों तथा अनुमोदित की स्थिति में विश्वविद्यालय पोर्टल पर आनलाइन सत्यापित हों, उन्ही की सूची (नाम) प्रस्तावित किया जाय। अनुमोदित प्राध्यापकों, जिनका नाम सूची में अंकित किया गया हो उनका अनुमोदन पत्र, पैन नम्बर, वर्तमान न्यूनतम 06 माह का वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट, आधार कार्ड तथा विश्वविद्यालय पोर्टल सत्यापन सूची की प्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न किया जाय। अनुमोदन पत्र, बैंक का वेतन–विवरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं विश्वविद्यालय पोर्टल से सत्यापित सूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राध्यापक को परीक्षक नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। अन्तिम कार्य–दिवस तक आन्तरिक परीक्षकों की सूची उपलब्ध न होने की स्थिति में परीक्षा समय सीमा के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अपने स्तर से आन्तरिक परीक्षक नियुक्त करने की कार्यवाही सम्पन्न करेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा।

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नियुक्त, अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय पोर्टल पर सत्यापित प्राध्यापक जिनका अनुमोदन 05 वर्ष या उससे अधिक हो गया है तथा महाविद्यालय में अद्यतन कार्यरत हैं उनकी सूची भी आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कुलपति महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है **कि प्रायोगिक / मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के दिन ही आन–लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित प्रोफार्मा पर परीक्षकों के हस्ताक्षर सहित अंक अपलोड करना सुनिश्चित करें** तथा वाहक के माध्यम से प्रतिपर्ण की विश्वविद्यालय प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में दूसरे दिन प्रतिपर्ण स्वीकार्य नही होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

परीक्षा नियंत्रक

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी, गोपनीय / परीक्षा को तत्कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से के साथ कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा महाविद्यालय के लॉगिन आई0डी पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक